


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

No. 206]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2016/आषाढ़ 9, 1938
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2016/ASHADHA 9, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

सं. 12011/15/2016-बीसी-II.—जबकि भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खंड- I, जी.एन. सं. 186, सोमवार, 13 सितम्बर, 1993 में प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10.9.1993 के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसी-II तहत राज्य: केरल सामान्य सूची: पेरुवान्न (वर्नावर) को क्रम सं. 49 पर और राज्य: हरियाणा: सामान्य सूची: अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थेरी या तूरी या थोरी को, क्रम सं. 01 पर "राय सिख" को शामिल किया गया था। तत्पश्चात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 के संकल्प सं.12015/2/2007-बीसी-II के तहत हरियाणा राज्य की केंद्रीय सूची में क्रम सं. 01 पर अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थेरी या तूरी या थोरी के साथ "हागी" जाति को भी शामिल किया गया था।

जबकि भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग- I, खंड- I, जी.एन.सं. 232, बुधवार, 18 अगस्त, 2010 में प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18.08.2010 के संकल्प सं. 12015/2/2007-बीसी-II के तहत राज्य: छत्तीसगढ़: सैईस, सहीस, साईस को क्रम सं. 56 पर शामिल किया गया था।

जबकि उक्त समुदाय केरल के "पेरुवान्न (वर्नावर)" हरियाणा के "अहेरिया, अहेरी, हेरी, हागी, तूरी या थोरी" और "राय सिख" तथा छत्तीसगढ़ के "सहीस" को केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की सूची में अब शामिल किया गया है, अतः उक्त संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, नामतः:

1. क्रम सं. 49 एवं प्रविष्टि नामतः "पेरुवान्न (वर्नावर)" जाति केरल राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से हटा दी गई है।
2. क्रम सं. 49 एवं प्रविष्टि नामतः "राय सिख" हरियाणा राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से हटा दी गई है।
3. क्रम सं. 1 एवं प्रविष्टि नामतः "अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, नायक, थेरी या तूरी या थोरी" को हरियाणा राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
1. अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, नायक, थेरी या तूरी या थोरी	1. नायक, थेरी

4. क्रम सं. 56 और प्रविष्टि नामतः सैईस, सहीस, साईस को छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में निम्नलिखित संशोधित किया जाता है:

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
56. सैईस, सहीस, साईस	56. सैईस, साईस

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th June, 2016

No. 12011/15/2016-BC-II.—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No. 12011/68/93-BCC dated 10.9.1993 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N.No.186, Monday, September 13, 1993 in the State : Kerala : Common List : Peruvannan (Varanavar) was included against S.No.49 and in the State : Haryana : Common List: Aheria, Aheri, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori was included against S. No. 1 and Rai Sikh were included against S. No. 49. Subsequently, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 18.08.2010 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N. No. 232, Wednesday, August 18, 2010, "Hari" caste was also included along with the castes/communities Aheria, Aheri, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori against S. No.1 of the Central List of OBCs for Haryana.

Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment bearing No.12015/2/2007-BCC dated 18.08.2010 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N. No. 232, Wednesday, August 18, 2010 in the State : Chattisgarh : Saiees, Sahees, Sayees was included against S.No.56.

Whereas the said communities "Peruvannan (Varanavar)" of Kerala, "Aheria, Aheri, Hari, Heri, Turi or Thori" and "Rai Sikh" of Haryana and "Sahees" of Chattisgarh have now been included in the list of Scheduled Castes of Kerala, Haryana and Chattisgarh, therefore the following amendments are made in the said Resolution namely:

1. S. No. 49 and entry namely "Peruvannan (Varanavar)" caste stands omitted from the Central List of OBCs for the State of Kerala.
2. S. No. 49 and entry namely "Rai Sikh" caste stands omitted from the Central List of OBCs for the State of Haryana.

3. S. No.1 and entry namely "Aheria, Aheri, Hari, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori" caste in the Central list of OBCs for the State of Haryana stands modified as under:-

Existing Entry	Modified Entry
1. Aheria, Aheri, Hari, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori	1. Naik, Theri

4. S.No. 56 and entry namely "Saices, Sahees, Sayees caste in the Central List of OBCs for the State of Chattisgarh stands modified as under:-

Existing Entry	Modified Entry
56. Saices, Sahees, Sayees	56. Saices, Sayees

B. L. MEENA, Jt. Secy.